


दिनांक	आज्ञा पत्र	काम
11.10.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....<u>३०.१०.२२</u> पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...<u>12.10.22</u> को पेश हो।</p>	
12.10.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक...<u>२५.१०.२३</u> को पेश हो।</p>	
24.01.23	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हदावत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को आगामी अपील के प्रति नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय से इजलास सुनाया गया। पत्रावली केवल बुद्धि लेकर न्याय के काम होकर बाद तर्कीय तर्कीय तर्कीय दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प बुन्डन) </p>	